राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2025, **GCMS NO. 2025/138**

प्रार्थी– | **बनाम** | **अप्रार्थीगण–**

1. श्री चिमन भारती पुत्र खंगार भारती जाति गोस्वामी, निवासी समदड़ी हाल निवासी रावली ढाणी तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।

बनाम

1. श्रीमती कन्यादेवी पत्नी शैतान भारती जाति गोस्वामी, निवासी समदड़ी, जिला बालोतरा।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपील श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 के विरूद्ध दिनांक 05.08.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम के तहत मौजा समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 2144 वर्गफुट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उत्तर में 67 फीट अशोक कुमार पुत्र धीसुलाल, बदिशा दक्षिण में 67 फीट व स्वयं द्वारा छोड़ी गई समाधी भूमि, पूर्व में 32 फीट माधो प्रसाद पुत्र मांगीलाल एवं पश्चिम में 32 फीट व रोड़ आया हुआ है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में कथन किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी पट्टा संख्या 660 एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिसे केवल सक्षम दीवानी न्यायालय ही चुनौती दे सकता है। श्रीमान जिला कलक्टर को इसे रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157(1) के तहत 50 वर्षों के पुराने कब्जे के आधार पर पूर्ण विधिक प्रक्रिया, मौका मुआयना और निर्धारित शुल्क जमा कर जारी किया गया है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 का वर्षों से रहवास है। चूंकि प्रार्थी को इस पट्टे की जानकारी पूर्व में दायर दीवानी वाद के कारण पहले से थी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का पटटा संख्या 660 जारी दिनांक 22.12.2020 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जासुदा रहवासीय भूखण्ड ग्राम समदड़ी के मुख्य बाजार में गोर का चौक से बावड़ी चौक जाने वाले रास्ते पर हनुमानजी मंदिर के सामने आया हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता खंगार भारती के हक मालिकाना का रहवासीय भूखण्ड है। जिसमें खंगार भारतीजी के सभी पुत्र भीम भारती, सोहन भारती, चिमन भारती, कान भारती, पहाड़ भारती, शैतान भारती का संयुक्त रूप से कब्जा व हक हिस्सा मौजूद था। मौके पर उपरोक्त रहवासीय भूखण्ड 15X72 Feet चौड़ाई लम्बाई में मौजूद था। जिसमें से खंगार भारती के मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिशान द्वारा बदिशा दक्षिण का 15X72 फीट चौड़ाई लम्बाई में हक हिस्से की भूमि को पडौसी राणाराम पुत्र झुंझाराम चौधरी को जरिये इकरार बेचान करते हुए इकरारनामा

जिला कलक्टर
बालोतरा

खंगार भारतीजी के सभी वारिशान द्वारा राणाराम के पक्ष में दिनांक 20.09.2010 को निष्पादित करते हुए भूखण्ड बैचान किया एवं कब्जा सुपुर्द किया। जिसके पश्चात् खंगार भारतीजी के सभी विधिक वारिशान द्वारा शेष हिस्से के संयुक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन तत्कालीन ग्राम पंचायत समदड़ी में पेश किया गया जिस पर दिनांक 16.11.2010 को आवेदन प्राप्त करने, मौका एवं नक्शे का शुल्क 60 आवेदनकर्ता सोहन भारती, चिमन भारती, शैतान भारती वगैरा से प्राप्त करते हुए रसीद संख्या 412 तत्कालीन ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी की गई मगर लम्बे समय तक उपरोक्त भूखण्डा का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया गया। इस दरम्यान परिवार के सदस्यों की संख्या में बढोतरी होने से खंगार भारतीजी के सभी विधिक वारिशान के द्वारा सुविधा के अनुरूप अलग अलग स्थानों पर रहवास किया जाने लगा एवं मौके पर स्थित उपरोक्त पुश्तैनी भूखण्ड में अवस्थित मंदिर, समाधियों इत्यादी की पूजा अर्चना की जाकर देखभाल की जाती रही। जिससे मौके पर अवस्थित उपरोक्त भूखण्ड के पुश्तैनी भूखण्ड के रूप में मौजूद था। शैतान भारती की मृत्यु उपरांत शैतान भारती के विधिक वारिशान हरीश भारती, मनीष भारती के द्वारा ग्राम पंचायत समदड़ी के सरपंच एवं कर्मचारियों से मिलावट करते हुए फर्जी पट्टा कन्यादेवी पत्नि शैतान भारती के नाम से निष्पादित करवा दिया गया। विवादग्रस्त भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टे के विद्यमान रहते प्रार्थी के हक हकूक प्रभावित हो रहे है। विवादग्रस्त भूखण्ड खंगार भारतीजी के सभी विधिक वारिशान के हक हिस्से का भूखण्ड है जिसमें खंगार भारतीजी के सभी विधिक वारिशान का समान हक हिस्सा मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी करने में विवादग्रस्त भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित किसी भी प्रकार की जांच नही की गई। उपरोक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विवादग्रस्त भूखण्ड का मौका मुआयना नहीं किया गया न ही आपत्ति नोटिस को आम इश्तिहार के जरिये प्रकाशित करवाया गया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिसमें 100 वर्षों का कब्जा होना बताया गया, लेकिन वास्तव में अप्रार्थी पट्टाधार की उम्र ही 55 साल है। इसके अलावा पंचायत की मिसल में न तो बयान फार्म में पड़ोसियों की उम्र अंकित है और न ही बयान कब दिये दिनांक भी अंकित नहीं है। जिससे तथाकथित पट्टे को जारी करने व भारी अनियमितता होने से भी तथाकथित पट्टा पूर्ण रूप से गलत, अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने लिखित बहस में यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश करते हुये वादग्रस्त भूखंड बाबत् जारी पट्टा पंजीकृत होने से पंजीकृत विक्रय विलेख को निष्प्रभावी व शून्य करवाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने का कथन करते हुए निगरानी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज करने का निवेदन किया गया। इस संबंध में उपरोक्त तमाम विधिक तथ्यों बाबत् माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर न्यायिक दृष्टांत के जरिये विस्तृत विवेचन करते हुए अप्रार्थी के द्वारा उठाए गए तमाम आपत्ति एतराज निस्तारित किया हैं। "माननीय राज. उच्च न्यायालय 2017 सुप्रीम (राज.) 2360 बुद्धमल बनाम् एडिशनल डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर जालोर के जरिये निर्धारित किया जा चुका है। "The revision authority is empowered to modify annul reverse the decision of the panchayati raj institution as also to remit the matter for reconsideration". इसी प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय 2024 सुप्रीम (राज.) 151, बंशीलाल बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान के जरिये निर्धारित किया गया कि "In the case of an ancertral- Proparty the allotment of patta should not be done in favor of one party unless it is established that all other parties have relinquished their right of there is no dispute" "The court held that in the case of an ancestral property where shares had not been distributed and divided the allotment of Patta should not be done in favor of one party unless it is established that all other parties have relinquished their rights or there is no dispute- The court found that the patta issued in favor of the petitioner was not justified due to the ongoing dispute over the ancestral property". 2016 Supreme (raj) 1026 Smt- Shanti Devi V/s State of Rajasthan"Registration of Patta's is only a Consequential- Registration of pattas is only a consequential event and when pattas are found to have been unlawfully issued contrary to obtaining rules and even by resort to fraud mere registration there of cannot be treated as a safeharbour- it is trite the froud vitiate and unravels everthing built on it- Write petitions are accordingly dismissed." इस प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त नजीरात से स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टा गलत अवैधानिक, तरीके से गलत तथ्यों को पेश करते हुये फर्जी तरीके से प्राप्त

जिला कलक्टर
बालोतरा

किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करते समय पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

7. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 अप्रार्थी संख्या 1 कन्या देवी के नाम का विधि की पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत, समदड़ी द्वारा जारी किया गया, उक्त पटटा ग्राम पंचायत, समदड़ी द्वारा जारी होने के बाद दिनांक 31.12.2020 को उप पंजीयक कार्यालय समदड़ी से पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानो के तहत पंजीबद्ध करवा दिया, जो एक Completed Action है, अर्थात पटटा संख्या 660 एक रजिस्ट्रर्ड विक्रय–विलेख का दस्तावेज है। जिसे शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। एक पंजीकृत विक्रय विलेख को न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा मात्र निगरानी की शक्तियो के तहत अपास्त नही किया जा सकता है। इसका समुचित उपचार नियमित वादपत्र के माध्यम से केवल सक्षम सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 660 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा 50 वर्षो से अधिक पुराने कब्जे के गृहो के विनियमितिकरण के तहत धारा 157 (1) पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण पालना करते हुए जारी किया गया, तथा संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.05.2010 लेकर ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक में प्रस्ताव के अनुसरण में रसीद संख्या 11137 दिनांक 22.12.2020 रूपये 200/– का शुल्क जमा कर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की है। उक्त प्रश्नगत पटटा के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 01 के पति का कब्जासुदा है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पति के स्वयं के समय पर उक्त कच्चे तामीरात बने हुये थे व रहवास है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मकान निर्माण, विद्युत एवं जल कनेक्शन हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी की गई व ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण एनओसी का न्याय शुल्क रूपये 22,200/– दिनांक 28.12.2023 को रसीद संख्या 08 के जरिये शुल्क भी लिया। भारतीय स्टेट बैंक शाखा समदड़ी के द्वारा लोन लिया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत समदडी द्वारा दिनांक 22.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जासुद भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के

जिला कलक्टर
बालोतरा

हक में जारी किया गया जो मौका कमेटी द्वारा मौका निरिक्षण कर सम्पूर्ण भुजाओ का नाप कर विधिनुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया। प्रार्थी चिमनभारती द्वारा वादी के भूखंड के संबंध में एक दीवानी वाद संख्या 28/2024 बअनवान चिमनभारती बनाम हरीश भारती जिला न्यायालय बालोतरा की न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो वादी निगराकार द्वारा दिनांक 01.08.2024 का वाद हेतु बताकर वाद पत्र पेश किया था अर्थात् वादी को दिनांक 01.08.2024 से ही अप्रार्थी संख्या 1 कन्या देवी के पट्टा संख्या 660 की जानकारी है, फिर भी प्रार्थी द्वारा ने लंबा समय व्यतीत कर उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु म्याद बाहर निगरानी पेश की है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का पटटा संख्या 660 जारी दिनांक 22.12.2020 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

8. हमने पत्रावली में उभयपक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 01/21.12.2020 के अनुपालना में आलौच्य पट्‌टा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत समदड़ी की ओर से जारी आलौच्य पट्‌टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी की मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्‌टा संख्या 660 जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से उक्त पट्‌टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी कन्या देवी ने पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में विवादित भूमि पर 100 वर्षों का पुराना कब्जा बताया है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार स्वयं प्रत्यर्थी की आयु मात्र 55 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अपनी आयु से अधिक समय का स्वयं का कब्जा सिद्ध नहीं कर सकता। पत्रावली में संलग्न शपथ–पत्रों में एवं पड़ोसियों के बयान–फार्म पर दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया। शपथ–पत्र में प्रार्थी की आयु का भी उल्लेख नहीं है। विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, बिना दिनांक का शपथ–पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता और

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

इसकी विश्वसनीयता शून्य मानी जाती है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत समदड़ी(वर्तमान नगरपालिका) के पत्रांक में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। रिकॉर्ड का अभाव यह संशय पैदा करता है कि उक्त अलोच्य पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और संदिग्ध जाहिर होता है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि पट्टा संख्या 660 पंजीकृत (Registered) है एवं उक्त भूखंड पर उनका कब्जा एवं स्वामित्व स्वतः सिद्ध है तथा स्वामित्व तय करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय का है, इस न्यायालय का नहीं। इस संबंध में जहाँ तक भूमि के स्वामित्व (Title/Ownership) का प्रश्न है, उसे तय करने का क्षेत्राधिकार निश्चित रूप से सिविल न्यायालय का ही है। इस न्यायालय का कार्य किसी का स्वामित्व तय करना नहीं, बल्कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे की प्रक्रिया एवं उसकी विधिक वैधता (Validity) की जांच करना है। यह निगरानी एक सरसरी जांच (Summary Proceedings) है, जिसमें पक्षकारों के जटिल स्वामित्व अधिकारों का अंतिम विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रावधानित प्रक्रिया के विपरीत और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अप्रार्थी सख्या 1 के पक्ष जारी करना प्रतीत होता है। ऐसा पट्टा विधि की दृष्टि में यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। यदि इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 इस भूखंड पर अपना हक या अधिकार मानता है, तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में घोषणा का वाद (Declaratory Suit) प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए, जिसके लिए वह स्वतंत्र है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पटटा संख्या 660 दिनांक 22.12.2020 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा